प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 82/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने जमशेदपुर, झारखंड में ''साअबर धोखाधड़ी, सामान्य जागरूकता और साइबर सुरक्षा उपायों'' के संबंध में एक संगोष्ठी आयोजित की।

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2019ः दिनांक 26 सितम्बर, 2019 (वीरवार) को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने जमशेदपुर, झारखंड में ''साइबर धोखाधड़ी, सामान्य जागरूकता और साइबर सुरक्षा उपायों'' के संबंध में एक संगोष्ठी आयोजित की। भादूविप्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। उपभोक्ता हितों से जुड़े मुद्दों पर भादूविप्रा उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है। इस श्रृंखला में, भादूविप्रा ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के माध्यम से जमशेदपुर, झारखंड में 26 सितंबर, 2019 को "साइबर धोखाधड़ी, सामान्य जागरूकता और साइबर सुरक्षा उपाय" विषय पर एक संगोष्ठी का अयोजन किया।

2. संगोष्ठी का उद्घाटन श्री वी.के. श्रीवास्तव, डीडीजी, दूरसंचार विभाग द्वारा श्री जे बी प्रसाद, डीडीजी, दूरसंचार विभाग, श्री सौविक कुमार दास, सलाहकार, भादूविप्रा और अन्य वक्ताओं, प्रतिभागियों और मीडिया की उपस्थिति में किया गया।

3. प्रख्यात वक्ताओं, जो दूरसंचार/आईटी क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, साइबर कानून और साइबर कानून प्रवर्तन से जुड़े हैं, यथा डॉ. चंदन मजुमदार (प्रोफेसर), श्री अविसेख त्रिपाठी (ReBiT), श्री बिवस चटर्जी (विशेष सरकारी अभियोजक), श्री ज्ञान बराह (आईसीआईसीआई), श्री सुमित प्रसाद (झारखंड सीआईडी) और श्री लोकेश कुमार (एनआईसी) ने अपने ज्ञान और अनुभव को दर्शकों के साथ साझा किया। उन्होंने इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस/सिस्टम, साइबर अपराधियों/हैकर्स की कार्यप्रणाली द्वारा उत्पन्न साइबर खतरों, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और संगठनात्मक डेटा की सुरक्षा, नागरिकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मौजूदा साइबर कानून के तहत उपलब्ध प्रावधानों और सुरक्षापायों, पुलिस साइबर अपराध इकाइयों और बैंकिंग क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा इकाइयों की पहल और अंत में साइबर में आवश्यक निवेश पर अपने विचार रखें।

4. शिक्षा संस्थानों, व्यापार मंडलों, इंजीनियर्स संस्थानों के प्रतिभागियों, झारखंड के गैर सरकारी संगठनों और उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) के सदस्यों, राज्यों, दूरसंचार विभाग, यूआईडीएआई के सरकारी अधिकारियों, और अन्य उपभोक्ताओं के साथ जमशेदपुर के आस–पास के क्षेत्र और रांची के वरिष्ठ नागरिकों ने संगोष्ठी में भाग लिया। अधिक से अधिक दर्शकों के लाभ के लिए सेमिनार भादूविप्रा की वेबसाइट पर लाइव था।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (आईटी एवं सीए), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91–11–23210990 या ईमेलः advisorit@gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।